

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 1965/प्राश्विन 7, 1887
No. 138] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 1965/ASVINA 7, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September 1965

No. 37/1/XIII/65/T.—The following order by the President, dated the 29th September, 1965, is published for general information:—

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Wednesday, the 3rd November, 1965 at 11 A.M.

NEW DELHI;
September 29, 1965.

S. RADHAKRISHNAN,
President.”

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक-सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1965

संख्या 37/1/XII/65/टी.—राष्ट्रपति का दिनांक 29 सितम्बर, 1965, का निम्न-लिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, मैं एतद्वारा लोक-सभा को बुधवार, 3 नवम्बर, 1965 को 11 बजे म० पू० नई दिल्ली में बैठक के लिये आमन्त्रित करता हूँ ।

नई दिल्ली,
29 सितम्बर, 1965.

एस० राधाकृष्णन,
राष्ट्रपति ।”

श्यामलाल शर्मा, सचिव ।